राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (एल–67/94)/अलेसे–II/565 दिनांक :– 11.09.19

कार्यालय आदेश

श्री लालचन्द मित्तल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II का आदेश संख्या 145/2018–19 दिनांक 09.03.2019 द्वारा कार्यालय उपवन संरक्षक (उत्तर) जयपुर में श्री पारस कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया। दिनांक 10.03.2019 को लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण आचार संहिता हटने के बाद कार्यालय मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से दिनांक 28.06.2019 को कार्यमुक्त होकर श्री मित्तल द्वारा इस निदेशालय के पत्र क्रमांक 2716 दिनांक 09.03.2019 की पालना में दिनांक 01.07.2019 को उपवन संरक्षक (उत्तर), जयपुर में अपनी उपस्थिति दी। उक्त कार्यालय में श्री पारस कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर से अपील संख्या 1725/19 दिनांक 18.07.2019 के क्रम में स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध स्टे प्राप्त करने के कारण श्री जैन को उक्त कार्यालय से कार्यमुक्त नहीं किया जा सका। कार्यालय उपवन संरक्षक (उत्तर) जयपुर में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I एक ही पद स्वीकृत होने के विरूद्ध श्री जैन का वेतन आहरित किया जा रहा है। अतः श्री मित्तल को दिनांक 01.07.2019 से वेतन आहरित नहीं होने के फलस्वरूप कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के रिक्त पद के विरूद्ध दिनांक 01.07.2019 से 31.08.2019 तक के वेतन आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (एल–67/94)/अलेसे–II/565 दिनांक :– 11.09.19

पतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. उपवन संरक्षक (उत्तर), जयपुर।
3. श्री लालचन्द मित्तल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, कार्यालय उपवन संरक्षक (उत्तर), जयपुर।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

4. उप निदेशक (ए.सी.पी.) कम्प्यूटर शाखा अपलोड करें हेतु

D:/sas-ii/vermaji/order.docx